

लोक हित अनावृत्ति और सूचनादाता का संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के अंतर्गत शिकायत

भारत सरकार का पीआईडीपीआई संकल्प, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को उस मंत्रालय या विभाग या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अधीन सोसाइटियों या स्थानीय प्राधिकरणों, जो उस मंत्रालय या विभाग के अधिकार-क्षेत्र में आते हों, के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्ट आचरण या पद का दुरुपयोग किए जाने के किसी आरोप पर लिखित शिकायत या अनावृत्ति प्राप्त करने हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत शिकायत कैसे करें:-

- (i) शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
- (ii) लिफाफे को मुख्य सतर्कता अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कमरा सं. 552, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001 को संबोधित करके भेजा जाना चाहिए और उसके ऊपर मोटे अक्षरों में 'लोक हित अनावृत्ति और सूचनादाता की संरक्षण संकल्प' लिखा जाना चाहिए। यदि लिफाफे के ऊपर ऐसा नहीं लिखा गया है और उसे ठीक ढंग से बंद नहीं किया गया है तो उपर्युक्त संकल्प के तहत शिकायतकर्ता की संरक्षा कर पाना मंत्रालय के लिए संभव नहीं होगा और शिकायत पर मंत्रालय की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता को शिकायत के शुरू में या अंत में या एक अलग से संलग्न पत्र में अपना नाम और पता लिखना चाहिए।
- (iii) मंत्रालय किसी बेनामी या छद्मनाम से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।
- (iv) शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए और स्वयं की पहचान का कोई विवरण या संकेत नहीं देना चाहिए।
- (v) तथापि, शिकायत का विवरण स्पष्ट और सत्यापन किए जाने योग्य होना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी ऐसे कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग किए जाने के आरोप पर लिखित शिकायत या अनावृत्ति प्राप्त करने हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी अर्थात् नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम और पता नीचे दिया गया है:-

श्री के. संजय मूर्ति
मुख्य सतर्कता अधिकारी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
कमरा सं. 552, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली-110001

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों) द्वारा लोक हित अनावृत्ति और सूचनादाता का संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया

1. 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' कम से कम अनुभाग अधिकारी (एसओ) स्तर के अधिकारी को पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत शिकायत प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
2. जिन लिफाफों के ऊपर मोटे अक्षरों में 'लोक हित अनावृत्ति के अधीन शिकायत' लिखा होगा उन्हें नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्राधिकारी के सामने ऐसे प्राधिकृत एसओ/प्रभारी द्वारा खोला जाएगा।
3. शिकायतकर्ता की पहचान की पुष्टि अनुभाग अधिकारी/प्रभारी द्वारा शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर की जाएगी।
4. पहचान की पुष्टि हो जाने के बाद, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और एसओ/प्रभारी दोनों ही यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतकर्ता की पहचान शिकायत के कलेवर से हटा दी जाए और एक डेम्मी शिकायत को केंद्रीय रजिस्ट्री डायरी नम्बर दिया जाएगा ताकि उसके आधार पर मूल शिकायत को बाद में खोजा जा सके।
5. मूल शिकायत को सेफ/अलमारी में सुरक्षित रखा जाएगा। अलमारी संबंधित अनुभाग अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी और किसी समय भी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उचित प्राधिकार के बगैर शिकायत को नहीं देखा जा सकेगा।
6. इस तरह तैयार की गई डेम्मी शिकायत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जो यह निर्णय लेगा कि मामले की आगे जांच वांछित है अथवा नहीं और क्या कोई रिपोर्ट किसी अन्य संस्था से प्राप्त की जानी वांछित है (प्रत्येक शिकायत के लिए एक अलग फाइल खोली जाएगी)।
7. शिकायत पर विचार करते समय, 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अन्य संबंधित मुद्दों जैसे प्रशासनिक विषयों से संबंधित शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तथापि, उन मामलों में जहां अनियमितता की गंभीर शिकायतें देखी जाती हैं उन्हें समुचित कार्रवाई के लिए सचिव/संगठन प्रमुख की जानकारी में लाया जा सकेगा।
8. ऐसे मामलों में जहां किसी रिपोर्ट को मगाएं जाने का निर्णय लिया गया है, अधिकतम दो सप्ताह का समय नियत किया जाए। यदि दो सप्ताह के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' के स्तर से एक अनुस्मारक भेजा जाए। यदि अभी भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो दो सप्ताह के उपरांत दूसरा अनुस्मारक सचिव स्तर से भेजे गए। यदि तिस पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्पष्टीकरण मांग सकेगा और जानबूझकर किए गए विलंब के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।

9. रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित अनुभाग अधिकारी/प्रभारी मामले को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो शिकायत की जांच करेगा और दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार करेगा।
10. 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' अपनी सिफारिशों के साथ जांच रिपोर्ट को आगे के निर्देश हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
11. इसी समय, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि 'हिविसल ब्लोवर' मानते हुए/होने की आशंका पर किसी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
12. शिकायत के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आयोग के निदेश प्राप्त होने के उपरांत सीवीओ आगे की कार्रवाई करेगा और डी.ए. से आगे की कार्रवाई के अनुपालन की पुष्टि कराएगा और यदि कोई विलंब होता है तो उसके बारे में आयोग को अवगत कराएगा।
13. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी पीआईडीपीआई संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों की एक अलग सूची रखेगा और उसकी सूचना कंप्यूटर प्रणाली में डालेगा और समय-समय पर उसकी प्रगति को मॉनीटर करेगा और प्रत्येक दो सप्ताह के अंतराल में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को स्थिति की सूचना प्रस्तुत करेगा।
14. जब कभी शिकायतकर्ता उत्पीड़न/शोषण की आरोप लगता है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि यदि शिकायतकर्ता की पहचान किसी तरह ज्ञात हो गई है तो उसे बार-बार स्थानांतरण आदि द्वारा उत्पीड़ित/परेशान न किया जाए।
15. यदि शिकायतकर्ता संरक्षण की मांग करता है और अपने जीवन को खतरा होने की रिपोर्ट करता है तो 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' उसकी जांच करेगा और अपनी सिफारिशें सीवीसी को भेजेगा ताकि वह गृह मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के 'हिविसल ब्लोअर' को सुरक्षा कवर प्रदान करने के प्रयोजन से मामले को नोडल अधिकारी के साथ उठाए।
